

## संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक समस्या का निराकरण त्वरित हो

कलेक्टर ने जनशिकायत निवारण शिविर में 32 आवेदकों की समस्याओं पर कार्रवाई के दिए निर्देश रत्नाम 04 सितम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ नगर निगम सभागृह में शाम 4:00 से 5:00 बजे जन शिकायत निवारण शिविर में 32 आवेदकों की समस्याएं सुनी।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम में जन शिकायत निवारण शिविर के दौरान निगम के विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर मानवीयता के आधार पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए तथा आवेदकों को उस कार्रवाई से अवगत भी करवाया जाए। शिविर में 32 आवेदकों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने आवेदन दिए जिनके निराकरण के लिए कलेक्टर ने संबंधित शाखा प्रभारियों को निर्देश दिए।

जन शिकायत निवारण शिविर में सैनिक कॉलोनी रत्नाम के बलराम प्रजापत ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व का मकान सैनिक कॉलोनी में स्थित है जिसके नामांतरण के लिए आवेदन पत्र निगम कार्यालय में प्रस्तुत किया जा चुका है परंतु कई चक्कर लगाने के बाद भी अभी तक भवन का नामांतरण नहीं हुआ है। आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित शाखा को निर्देशित किया गया। धानमंडी के दिलीप कुमार अग्रवाल ने आवेदन दिया कि उनके मोहल्ला धानमंडी स्थित दो पृथक—पृथक भवनों के लिए संयुक्त निर्माण अनुज्ञा प्राप्त की गई है तथा उक्त निर्माण अनुज्ञा का उल्लंघन करते हुए विपरीत निर्माण किया जा रहा है और व्यक्ति द्वारा खुले रूप में निगम के स्टी इंजीनियर तथा अन्य अधिकारियों से बातचीत हो जाना दर्शाकर मौके पर निरंतर अवैध निर्माण करवाता आ रहा है और धोंस दे रहा है चाहे कितनी भी शिकायत कर दो, उसके द्वारा करवाए जा रहे निर्माण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं होना है। मौके पर निरंतर चल रहे अवैध निर्माण की जानकारी स्टी इंजीनियर तथा अन्य अधिकारियों को होने के उपरांत भी ना तो अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है और ना ही अवैध निर्माण रुकवाने बाबत कोई प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आवेदन पर कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

हठीराम दरवाजा के रामचंद्र परमार, आनंदीलाल गुगलिया ने आवेदन दिया कि मोहन टॉकीज के पास स्थित समता परिसर में बाहर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा है और गेट के बाहर ढलान भी है। इस ढलान पर नगर निगम द्वारा 1 सप्ताह पहले एक स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है जिससे वाहन गिर सकते हैं और किसी के भी चोट लग सकती है। गली के एक अन्य व्यक्ति द्वारा नाली पर स्टेप बनाकर रास्ते को और संकरा कर दिया है अतः स्पीड ब्रेकर तथा नाली पर निर्मित स्टेप को तुरंत हटाया जाए। आवेदन पर पीडब्ल्यूडी शाखा को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अलकापुरी के विजयसिंह भाटी ने उनके घर के सामने का चेंबर सफाई के लिए आवेदन दिया। इसी प्रकार लकड़पीठा मेन रोड पर सरकारी नल के दुरुपयोग करने, गंदगी और कीचड़ करने की शिकायत का आवेदन श्री शब्दीर कापड़िया तथा अन्य द्वारा दिया गया जिसके निराकरण के लिए अतिक्रमण शाखा को निर्देशित किया गया।

इसके अलावा ईदगाह रोड बाजना बस स्टैंड के बससंतीलाल पिता नानालाल द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके भूखंड की राशि एवं संपूर्ण टैक्स जमा कर रजिस्ट्री पत्र बनवाया जाए। सभी आवेदनों पर कलेक्टर ने निगम की संबंधित शाखाओं को समय सीमा में निराकरण के लिए निर्देशित किया।

शहर सराय एवं धानमंडी क्षेत्र के नागरिकों ने क्षेत्र में सुविधाघर बनाने संबंधी आवेदन दिया। नागरिकों ने बताया कि कुछ वर्षों पहले तक यहां सुविधाघर बना हुआ था मगर अब सुविधाघर नहीं है। इससे शहर सराय के दुकानदारों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने क्षेत्र में सुलभ कांपलेक्स इस चौराहे पर बनाए जाने संबंधी निवेदन किया। इस संबंध में संबंधित विभाग को कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए।

रामदेव जीकी घाटी निवासी संजय चौहान ने देवरा देवनारायण योजना में प्लाट की रजिस्ट्री संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1991–92 में नगर सुधार न्यास द्वारा देवरा देवनारायण योजना क्रमांक 55 में प्लाट लिया था। इसकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं करवाई गई है। कलेक्टर ने संबंध में विकास शाखा प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। सूरजमल जैन नगर के रहवासियों ने आवेदन में कहा कि क्षेत्र में सड़कें खोजने के बाद मरम्मत कार्य नहीं किया गया, इस कारण नालियों से पानी बाहर निकल रहा है और बीमारियों फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इस संबंध में स्वास्थ्य प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

अवैध निर्माण करने एवं एमओएस नहीं छोड़ने संबंधी आवेदन देते हुए रतलाम निवासी गोवर्धन लोहिया ने कहा कि उनके निजी मकान के समीप अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहां अवैध निर्माण को तुरंत तुङ्गवाने एवं एमओएस का पालन करवाने संबंधी कार्यवाही की जाए। इस संबंध में संबंधित शाखा को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सैनिक कॉलोनी निवासी सीताबाई प्रजापत में कहा कि सैनिक कॉलोनी योजना क्रमांक 30 में उनके मकान का नामांतरण नहीं हो रहा है। इस संबंध में उन्होंने आवेदन भी दिया हुआ है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नामांतरण के लिए पिछले कई वर्षों से वह चक्कर लगा रही है। कलेक्टर ने सिटी इंजीनियर को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिए।

सिलावटों का वास निवासी संगीता राव ने अपने आवेदन में अपने अधिपत्र के भूखंड पर पट्टा जारी करने तथा वहां किए गए अतिक्रमण को हटाना संबंधी आवेदन दिया। वहीं शक्तिनगर निवासी रेखा आचार्य ने मकान निर्माण के दौरान पड़ोसी द्वारा अवैध निर्माण करवाने संबंधी शिकायत की। उन्होंने अवैध निर्माण छुँड़वाने तथा की मांग की। इस संबंध में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने संबंधी निर्देश संबंधित शाखा को दिया गया।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री एम.के.जैन, उपर्यंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, श्री बी.एल. चौधरी, राजेश पाटीदार, मनीष तिवारी, विकास मरकाम, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी आयुषी पालीवाल, लेखापाल श्री जगदीश पांचाल, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े सहित निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

## **गाय व अन्य पशुओं के तबेले व बाड़े 3 दिवस में स्वयं हटा लेवें समयावधि पश्चात नगर निगम द्वारा तोड़े जायेंगे तबेले व बाड़े वसूल की जायेगी 15 हजार रुपये प्रति घंटा के मान से तोड़ने की राशि**

रतलाम 4 सितम्बर। रतलाम शहर में गाय व अन्य मवेशियों के बाड़े एवं तबेले मवेशी पालक द्वारा 7 सितम्बर मंगलवार तक हटाने के निर्देश कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने गवली समाज व अन्य पशु पालकों को दिये।

नगर निगम सभागृह में 04 सितम्बर शनिवार को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम द्वारा नागरिकों नगर निगम से संबंधित शिकायतें सुनने व निराकरण करने के दौरान गवली समाज व अन्य पशु पालकों द्वारा अपने बाड़े व तबेले स्वयं तोड़े जाने हेतु समय की मांग किये जाने पर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने उन्हे 3 दिवस का समय दिया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छन्द रूप से विचरण करने वाले मवेशी व उनके बाड़े व तबेलों शहर तो गंदा होता ही है साथ ही उत्पन्न गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं जिससे नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में डेंगू के प्रकोप शहर में बढ़ता जा रहा है इस पर काबू पाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा संपूर्ण शहर में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है साथ ही निगम एकट के विरुद्ध शहर में संचालित गाय, भैंस, सूअर व अन्य पशुओं के तबेले एवं बाड़े तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। मवेशी पालकों के अनुरोध पर उन्हे तीन दिवस का समय दिया गया है नियत

समयावधि में मवेशी पालक द्वारा तबेले व बाड़े स्वंय नहीं हटाते हैं तो उन्हे नगर निगम द्वारा तोड़ा जाकर 15 हजार रुपये प्रतिघन्टा के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जावेगी।

## **नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 4 सितम्बर को 48 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा**

रतलाम 04 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 04 सितम्बर शनिवार को 48 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

04 सितम्बर शनिवार को डम्पर से 19420, काम्पेक्टर सूखा कचरा 24805, काम्पेक्टर गीला 3970, मैजिक 755 किलो इस तरह कुल 48950 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

## **नो पार्किंग में खड़े 2 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना**

रतलाम 04 सितम्बर । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं, उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 04 सितम्बर शनिवार को नो पार्किंग में खड़े 2 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 04 सितम्बर शनिवार को चांदनी चौक क्षेत्र में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर अनिल-गोपाल जाट रतलाम व रमेशचन्द्र-गंगाराम चौहान इंदौर पर 200-200 रुपये का जुर्माना किया गया।

## **खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 16 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें**

रतलाम 04 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 04 सितम्बर को 16 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में कचरा व गंदगी करने पर भैरुलाल महू रोड बस स्टैण्ड, रायल घड़ी नौलाईपुरा, मुशरफ चांदनी चौक पर 100-100, भगवान सिंह पैलेस रोड, कलीम, अशोक, भोलीबाई दो बत्ती, लियाकत, सुनील, अनिताबाई कालिका माता, नेहा न्यू रोड, बगदीबाई, लेखाबाई सैलाना बस स्टैण्ड, रमेश सब्जी मण्डी, रमेश व सोना जायसवाल सज्जन मिल रोड पर 50-50 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए. पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झाँझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिंदे मो.नं. 9424075393,

7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

### **12513 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा**

रतलाम 02 सितम्बर। रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 04 सितम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 12513 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 04 सितम्बर को तेजा गनर क्षेत्र से 1 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

### **980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

रतलाम 04 सितम्बर। नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु राशि रूपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूँजी हेतु राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी राशि रूपये 10,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूँजी राशि रूपये 20,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाइल नम्बर साथ लाना होगा।

**नगर निगम के पेंशनरों को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र**

**रतलाम 04 सितम्बर।** संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण—पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण—पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

## **नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें**

**रतलाम 04 सितम्बर।** कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम ज़िले में कोटोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

## **गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही**

**रतलाम 04 सितम्बर।** निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

## **वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही**

**रतलाम 04 सितम्बर।** स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं इमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 04.09.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.